डा0 के0के0 पाल,
राज्यपाल एवं कुलाधिपति
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड
विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल,
टिहरी गढ़वाल।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

पत्र संख्या /जी0एस/शिक्षा C11-1/2015
देहरादूनः दिनांकः 09 दिसम्बर, 2015

:–आदेश–:

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 12 (1)/12/xxiv(6)/2012 दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 के द्वारा डा0 यू0एस0 रावत को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के कुलपति पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। डा0 यू0एस0 रावत कुलपति का कार्यकाल दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 को पूर्ण हो रहा है।

चूंकि श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के नियमित कुलपति के चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। नियमित कुलपति के चयन में समय लगने के दृष्टिगत श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा–10 (9) में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार की संस्तुति के क्रम में कुलाधिपति में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अन्तरिम व्यवस्था हेतु दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 से आगामी तीन माह अथवा नियमित कुलपति नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए डा0 यू0एस0 रावत को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर पुनः नियुक्त किया जाता है।

डा0 के0के0 पाल
कुलाधिपति।

संख्या 3977 (1) जी0एस0 शिक्षा/C11-1/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– मुख्य प्रधान सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से कि विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के चयन का पैनल शीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4– सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5– जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7– कुलपति, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
8– कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
9– निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।
10– गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

( अरूण कुमार ढौंडियाल )
विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।